रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 482] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, नवम्बर 9, 1972/कार्तिक 18, 1894

No. 482] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 9, 1972/KARTIKA 18, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November 1972

S.O. 701(E).—In pursuance of the provisions of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected in the constituency referred to therein is published for general information—

DECLARATION

Bye-election to the House of the People from the 13-*Manhya Parliamentary Constituency in Mysore State.*

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951 read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that Shri K. Chikkalingaiah, Advocate, Mandya has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the resignation of Shri S. M. Krishna.

Place: Mandya
Date: 24-10-1972.

(Sd.) P. P. PRABHU,
Returning Officer."

[No. F.13(2)/72-Leg.II.]

K. K. SUNDARAM, Jt. Secy.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 1972

का० आ० 701(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के उपबन्धों के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणा, जिसमें निर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम दिया गया है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :—

घोषणा

मैसूर राज्य में 13-मंड्या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए उप-निर्वाचन ।

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में मैं घोषित करता हूं कि श्री एस० एम० कृष्ण के त्याग-पत्र से उस सदन में हुई रिक्ति को भरने के लिए —

श्री के० चिक्कालिंगैय्या
अधिवक्ता, मंड्या

सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गये हैं ।

स्थान : मंडया
तारीख : 24 अक्टबर, 1972

(ह०) पी० पी० प्रभू,
रिटर्निंग आफिसर" ।

[सं० फा० 13(2)/72-विधा० II]

के० के० सुन्दरम्, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972